

पत्र संख्या : 7वि.शा./मु.मेदिनी.-01-08/20 ज.सं. 284

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,  
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर ;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 12/3/21

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जल संसाधन विभाग अन्तर्गत अनुसंधान प्रमंडल, गढ़वा को बभनीखांड जलाशय योजना का पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य हेतु आवंटनादेश सं.-99 दिनांक 04.11.2020 द्वारा निर्गत राशि में से कुल रु. 26.128 लाख (रु. छब्बीस लाख बारह हजार आठ सौ मात्र) रुपये राशि का प्रत्यर्पण स्वीकृत करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-53/18-19 प्र.स्वी., दिनांक-01.02.2019 Online AA-927/08.10.2020  
महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन प्रत्यर्पण स्वीकृत किया जाता है:- (लाख रु. में)


क्र.	मॉग संख्या/ मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	प्रत्यर्पित राशि
1	2	3	4	7
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय /80-सामान्य/	001-निर्देशन तथा प्रशासन/ 54-पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई०आर०एम०	05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य 49S470180001540545	26.128

प्रत्यर्पित राशि - ₹ छब्बीस लाख बारह हजार आठ सौ मात्र।

2. उपर्युक्त प्रत्यर्पण स्वीकृत की जा रही राशि की विवरणी निम्नवत् है:-

(राशि लाख रु. में)




क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति/ एकसंरचना की राशि	मार्च 2020 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2020-21 में			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (6+9)	On-line Allotment Access No
						पूर्व का आवंटन	प्रत्यर्पित राशि	संशोधित कुल आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अनुसंधान प्रमंडल, गढ़वा (GRHRR001)	मेदिनीनगर	गढ़वा जिलान्तर्गत बभनीखांड जलाशय योजना का पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य	632.74 556.627	465.64	158.72	26.128	132.592	598.232	55263
योग						158.72	26.128	132.592	598.232	

  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :- 284

राँची, दिनांक :- 12/3/21

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्दू राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/मेदिनीनगर/गढ़वा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)
  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापिकांक :- 284

राँची, दिनांक :- 12/3/21


प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)



(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)



10/03/21  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव